

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक:- 2279 /11-सी-FP/UP/IND/23246/2016, लखनऊ: दिनांक: मई 31, 2019

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ०प्र० शासन,
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।


विषय:- जनपद-सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में मै० जय प्रकाश एसोसिएट्स द्वारा ग्राम-कोटा में जे०पी० सुपर सीमेन्ट प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874 हे० आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक-8-07/2019-एफ०सी०, दिनांक-25.03.2019 एवं उ०प्र० शासन का पत्रांक-39/14-2-2019-800(162)/2018, दिनांक 29.03.2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करे। भारत सरकार, नई दिल्ली के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर क्षेत्र, मिर्जापुर ने अपने पत्रांक-5228/मी०क्षे०/33, दिनांक 30.05.2019 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेखों की दो प्रतियाँ इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया विषयांकित प्रकरण आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।
संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- /11-सी-FP/UP/IND/23246/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर क्षेत्र, मिर्जापुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा।
3. श्री रामराज बाली, अधिकृत प्रतिनिधि, जे०पी० एसोसिएट्स लि०, सेक्टर-128, नोएडा।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।